(8)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर – 201310

FTS - 98313

पत्रांक : सम्पत्ति /अ.मु.का.अ./2019 / 306
दिनांक : 18/12/2019

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.11.2019 के अनु0 - 2 मद संख्या 116/12 में प्राधिकरण की बिल्टाप हाउंसिग योजना BHS14 & BHS15 के अन्तर्गत सैक्टर ज्यू 03, क्षेत्रफल 35.96 वर्ग मीटर के आवंटित 146 भवनों के आवंटियों को इसी सैक्टंर में रिएलोकेटिड किये जाने हेतु निम्नवत नीति लागू की जाती है :-

1. बिल्टअप हाउसिगं योजना BHS-14 & BHS15 के अन्तर्गत सैक्टर ज्यू - 03 में 35.96 वर्गमीटर , के 146 आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक भवनों का कब्जा प्रदान नही किया गया है, ऐसी परिस्थिति में उन समस्त 146 भवनों के आवंटियों को यह विकल्प उपलव्ध कराया जाये कि वे आवंटीगण , यदि सेक्टर ज्यू 03 में ही 35.96 वर्गमीटर के किसी अन्य ब्लाक में निर्मित भवनों को लिए जाने के इच्छुक है तो वे आवंटी अपनी लिखित सहमति प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र की तिथि से 45 दिनों के भीतर दे सकते है। सहमति प्राप्त होने के पश्चात भवनों का रिएलोकेशन तत्काल किया जाये।
2. उपरोक्त ऐसे आवंटीगण , जो भवन लिये जाने के इच्छुक नही है तो उन सभी आवंटियों को यह विकल्प उपलब्ध कराया जाये कि यदि वे आवंटित भवन के सापेक्ष जमा धनराशि को वापस लेना चाहते है तो वे आवंटी प्राधिकरण की बेवसाइट www.greaternoidaauthorit.in में जाकर ऑनलाइन सर्विसिज के माध्यम से भवन के समर्पण हेतु पत्र जारी होने की तिथि से 45 दिन के भीतर भवन का समर्पण हेतु आवेदन कर सकते है। ऐसे आवंटी जिनके द्वारा भवन शिफ्टिग हेतु सहमति प्रदान नही की जाती है तो उनको उनके द्वारा जमा कुल धनराशि पर ब्रोशर में निर्धारित शर्तें यू – अन्य अनुच्छेद के पैरा यू – 3 " किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा चार मंजिलें फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी , 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज सहित जमा धनराशि लौटा दी जायेगी। "।
3. शेष नियम एवं शर्ते बिल्टअप हाउंसिग योजना BHS14 & BHS15 के अनुरूप यथावत रहेगी।

उक्त आदेश प्राधिकरण की 116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.11.2019 के अनु0 - 2 मद संख्या 116/12 में मा0 बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जा रहा है , जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी)।
3. विशेषकार्याधिकारी (एस0 के) / महाप्रबन्धक (वित्त / परियोजना) ।
4. प्रभारी (सिस्टम) को प्राधिकरण बेवसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेपित।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

16/12/2019

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी